

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-04/2025

पटना, दिनांक—

श्री कुमार शैलेन्द्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-08.01.2025 से 17.01.2025 तक कुल 10 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-18.01.2025 को शनिवारीय एवं दिनांक-19.01.2025 को रविवारीय अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री शैलेन्द्र के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-10=290) (दो सौ नब्बे) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-04/2025

4610

पटना, दिनांक-04/04/2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कुमार शैलेन्द्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Shilendra

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।